06.10.2025	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् पेश किया जो निम्न प्रकार है – यह कि प्रतिवादी प्रस्तुत वाद में निम्न सुसंगत दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। 1. भारतीय फारेंसिक जांच प्रयोग शाला रिपोर्ट दिनाक 18.12.2024	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)

2. डॉक्यूमेन्ट एक्जामीनर एण्ड फोरेन्सिक कन्सलटेंट रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024

3. अपील निर्णय दिनांक 27.02.2024 न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा अन्तर्गत धारा – 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वउनवान देवेन्द्र बघेल बनाम पप्पू वगैरह

यह कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत वाद में पक्षकारान के मध्य रियल कन्ट्रावर्सी को तय करने के लिए काफी सुसंगत है। जिन्हें रिकॉर्ड पर लेने से माननीय न्यायालय को पक्षकारान् के मध्य रियल कन्ट्रावर्सी तय करने में काफी सहायता मिलेगी और प्रकरण का समुचित न्याय निस्तारण हो सकेगा। यह कि उक्त दस्तावेज प्रतिवादी के पास उपलब्ध नहीं होने से प्रस्तुत नहीं कर सका था। जिन्हें सम्यक तत्परता बरतते हुये दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपियां प्राप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वर्णित दस्तावेजों को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिये जाने की कृपा करें।

जिसका वादी निम्न जवाब पेश करता है– यह कि प्रकरण सम्मानीय न्यायालय में सन 2017 से विचाराधीन है। सम्माननीय न्यायालय द्वारा विवादित दस्तावेज के संबंध में हस्तलेख विशेषज्ञ हेण्ड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट तलब किये जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। उपरोक्त दस्तावेजात प्रकरण हाजा का निस्तारण करने के लिए सुसंगत नहीं है। उक्त रिपोर्ट प्रतिवादी द्वारा अपने स्तर पर मिलीभगत कर गलत एवं झूठी रिपोर्ट तेयार करवाई गई है। दस्तावेजात देरी से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं बतलाया गया है, अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जाावे।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गयी। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी का निवेदन है कि विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करना चाहता है तथा जिला कलेक्टर, कोटा का 27.02.2024 का आदेश पेश करना चाहता है जो

कि उक्त मामले से संबंधित है। अप्रार्थी/वादी का निवेदन है कि उक्त दस्तावेजात प्रकरण से संबंधित नहीं है इस कारण से उक्त दस्तावेजों को रिपोर्ट पर नहीं लिया जावे।

उभय पक्षों की बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह कि प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा भारतीय फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला की रिपोर्ट पेश की गयी है तथा जिला कलेक्टर कोटा का निर्णय पेश किया गया है जो कि वाद की विवादग्रस्त संपत्ति से संबंधित है, उक्त कारण से जिला कलेक्टर, कोटा का निर्णय 27.02.2024 रिकॉर्ड पर लिया जाता है तथा उसे प्रदर्शित कराने की अनुमति दी जाती है तथा प्रकरण में भारतीय फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट पेश की गयी है उसे इस शर्त पर रिकॉर्ड पर लिया जाता है कि संबंधित विशेषज्ञ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य देवें तथा उक्त संबंधित हस्तलेख विशेषज्ञ ही उक्त रिपोर्ट को प्रदर्शित करा सकेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 09.10.2025 पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–1, कोटा